# आयुष संचालनालय
# मध्य प्रदेश
# सतपुड़ा भवन, भोपाल

## डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा नियुक्ति) सेवा भर्ती नियम-2022

दिनांक:28.03.2022

क्रमांक/एफ.-NAM-81/10/आयुष मिशन/2022 आयुष संचालनालय मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय पी.एम.यू. हेतु डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवाए देने हेतु हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. **शीर्षक**- ये नियम "मध्यप्रदेश, आयुष विभाग-डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा नियुक्ति) सेवा भर्ती नियम 2022" कहलायेंगे। ये नियम इनके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :-

2.1 "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इन नियमों के तहत संविदा डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद के संबंध में कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी अर्थात आयुक्त संचालनालय आयुष, मध्य प्रदेश।

2.2 **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है कि आयुष विभाग अंतर्गत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवाए देने हेतु चयन हेतु निर्धारित परीक्षा।

2.3 **"आरक्षित श्रेणी"** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य के अन्तर्गत घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निशक्त जन एवं महिला अभ्यर्थी।

2.4 **"विभाग"** से तात्पर्य है आयुष विभाग मध्यप्रदेश।

2.5 **"आयुक्त"** से अभिप्रेत है आयुष विभाग मध्यप्रदेश।

2.6 **"आयुष मिशन"** से तात्पर्य है- राष्ट्रीय आयुष मिशन ।

2.7 **"डाटा एण्ट्री ऑपरेटर"** से अभिप्रेत है आयुष विभाग अंतर्गत संविदा आधार पर नियुक्त डाटा एण्ट्री ऑपरेटर ।

3. सामान्य :-

3.1 ये नियम ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश आयुष विभाग अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवाएं देंगे।

3.2. आयुष विभाग अंतर्गत अंतर्गत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद पर चयन होने पर अन्य सेवा (संविदा अथवा नियमित) में कार्यरत उम्मीदवार को नियुक्ति से पूर्व कार्यरत पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा।

3.3 यह सेवायें नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष के लिये मान्य होंगी। आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के होने पर सेवा में वृद्धि की जा सकेगी।

3.4 अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

3.5 अभ्यर्थियों का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित/अद्यतन पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

4. **शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं** :- शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हता-

अभ्यर्थी के पास उस पद के लिए विनिर्दिष्ट ऐसे शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताऐं आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व धारित होना चाहिये जैसा कि अनुसूची एक के कॉलम 2 में विहित किया गया है।

5. **आयु सीमाः**- नियुक्ति वर्ष की 01 जनवरी को आवेदक की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अनुसूची एक के कॉलम 3 अनुसार होगी।

**स्पष्टीकरणः**-आयु-सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा।

## 6. निरर्हताए :–

6.1 किसी उम्मीदवार की ओर से संविदा सेवाए देने के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए अयोग्य माना जायेगा।

6.2 फर्जी कूटरचित/दस्तावेज, चयन के स्तर पर जानकारी गलत देना/छुपाई गई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।

6.3 पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो तो चयन से अयोग्य घोषित किया जाऐगा।

6.4 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्व आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में सजा हुई हो वह चयन के लिये अनर्ह होगा।

## 7. चयन प्रकिया :–

7.1 **डाटा एण्ट्री ऑपरेटर** के पदों पर चयन मुख्यतः साक्षात्कर के माध्यम से होगा।

7.2 विज्ञापित पदों पर तीन गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जावेगीः–

7.2.1 डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा ऑनलाईन/आफलाइन की जायेगी, जिसका शुल्क अभ्यार्थी को स्वयं वहन करना होगा।

7.2.2 डाटा एण्ट्री ऑपरेटर हेतु चयन के लिये आयोजित ऑनलाईन/आफलाईन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये समान्य वर्ग के अभ्यर्थि को न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थि को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चयन हेतु रैंकिंग (मेरिट सूची) इन्हीं अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

7.2.3 ऑनलाईन/आफलाईन परीक्षा में उतीर्ण होने पर मेरिट सूची के अनुसार 1:3 अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी बुलाये जावेगें।

7.2.4 मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। अंतिम चयन हेतु अंक का अनुपात लिखित परीक्षा 70% एवं साक्षात्कार 30% का होगा।

7.2.5 उक्त मानदण्डों के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल पदों की संख्या से कम होने पर आयुक्त आयुष म.प्र. आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंकों की सीमा में कमी करने की कार्यवाही करने हेतु सक्षम होंगे।

7.3 समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगाः–

7.3.1 जिस अभ्यार्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।

7.3.2 समान उम्र होने की स्थिति में जिस अभ्यार्थी का कार्यानुभव ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यार्थियों से ऊपर होगा।

7.3.3 समान कार्यानुभव होने की स्थिति में जिस अभ्यार्थी का स्नातक में ज्यादा अंक होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।

7.4 परीक्षा एवं साक्षात्कर की मेरिट के आधार पर पदस्थापना स्थल पर आवंटित किया जावेगा।

8. **आरक्षणः–** मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एवं तत्समय प्रचलित नियमों के अध्यधीन निर्धारित प्रतिशत अनुसार रहेगा।

## 9. चयन संविदा सेवाएं रदद करना :–

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर चयन में सफल हो जाता है या चयन के पश्चात् प्रमाण–पत्र फर्जी पाये गयें एवं चूकवश चयन हो गया हैं तो उम्मीद्वार का चयन तुरंत बिना सूचना के रदद किया जाएगा। चयन संबंधी किसी भी विवाद में आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

10. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा सेवाएं) के चयन हेतु अन्य निर्धारित दिशा निर्देश :–

10.1 सत्यापन प्रक्रिया में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी मूल प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माने जायेगा एवं चयन नहीं किया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

10.1 परीक्षा एवं साक्षात्कार की मेरिट के आधार पर पदस्थापना स्थल पर आवंटित किया जावेगा।

10.1 डाटा एण्ट्री ऑपरेटर में चयन के पश्चात डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के रूप में पदस्थापना के लिए नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने हेतु आयुक्त आयुष अंतिम प्राधिकारी रहेगा।

11. संविदा अवधिः–

11.1 संविदा अवधि एक वर्ष के लिये होगी।

11.2 संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार जायेगा।

12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई दावा नहीं करेगा।

13. चयनित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को निर्धारित प्रारूप में नियोक्ता के साथ अनुबंध प्रतिपादित करना होगा।

14. **मानदेयः**– कार्यावधि के दौरान अभ्यर्थि को निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा। यह मानदेय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गम दी गई स्वीकृति के प्रकाश में परिवर्तनशील हो सकता है।

15. **नियोक्ता एवं नियुक्तिकर्ता प्राधिकारीः**– डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदो पर नियुक्ति हेतु **'आयुक्त आयुष'** नियोक्ता एवं नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होगें।

16. **अनुशासनात्मक कार्यवाहीः**– संबंधित का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर नियोक्ता को नियमानुसार नोटिस देकर अथवा एक माह का मानदेय देकर सेवा से तत्काल पृथक करने का अधिकार होगा। इन नियमों के अंतर्गत शासन के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति निहित होगी।

17. **शासन नियमों का प्रवर्तनः**– इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, उसका निराकरण शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार किया जावेगा।

18. **नियमों में संशोधन का अधिकार :–**

इन नियमों के किसी भी उपबंध में बदलाव/संशोधन का अधिकार राज्य सरकार का होगा। आयुक्त आयुष म.प्र. चयन के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन मान्य करना बंधनकारी होगा।

19. निर्वचनः–

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्व विवाद उद्भूत होता है तो वह शासन के निर्दिष्ट किया जावेगा जिस पर शासन का विनिश्चय अंतिम होगा।

20. निरसन एवं व्ययवृत्तिः–

इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरस्त किये जाते हैं, परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(करलिन खोंगवार देशमुख)
आयुक्त
संचालनालय आयुष, म.प्र.

डॉ. एम. फारूक
उपसंचालक
संचालनालय आयुष

## अनुसूची–एक
## नियम–4 एवं 5

## डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा नियुक्ति) हेतु विहित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताएं

| क्रं. | विहित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हता | आयु सीमा |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | अनिवार्य अर्हता | |
| 1 | विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक/बी.टेक(सी.एस./आई.टी.)/बी.सी.ए./बी.एस.सी.–आई.टी. में स्नातक उपाधि।<br>अथवा<br>विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट (डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए.) | नियुक्ति वर्ष की 01 जनवरी को<br>न्यूनतमः 21 वर्ष<br>अधिकतमः<br>सामान्य/ई.डब्लू.एस.–40 वर्ष<br>आरक्षित/महिला/दिव्यांग–45 वर्ष |

वांछनीय अहर्ताएं :–

- सरकारी/पीएसयू. या प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संगठनों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में अंग्रजी एवं हिन्दी टाईपिंग/एम.एस. ऑफिस (एम.एस. वर्ड/एक्सेल/पावर प्वाइंट/गूगल फार्म/गूगल शीट) कार्य/क्लर्क अनुभवी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जावेगी।
- आयुष विभाग में कार्यरत/अनुभव धारित अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
- सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

नोट– उपरोक्त सभी अर्हताऐं आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व धारित होना आवश्यक है

डॉ. एम. फारूक
उपसंचालक
संचालनालय आयुष

(करलिन खोंगवार देशमुख)
आयुक्त
संचालनालय आयुष, म.प्र.